यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल** के माह 12/2016 से माह 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.05.2018 से 11.05.2018 तक श्री हिमांशु मणि ले0 प0 अ0 के पर्यवेक्षण मे संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के.गुप्ता एवं श्री वी.पी.सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.12.2016 से 24.12.2016 तक श्री के.एल.भट्ट लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 02/2016 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वन संरक्षण, संवर्धन का नैनीताल वन प्रभाग के अन्तर्गत कार्य

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	4.65
2016-17	4.75
2017-18	6.83

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**स्थापना (` लाख में)**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	1161.05	1127.92	446.38	446.78	-	33.13
2016-17	1211.99	862.74	127.094	20.16	-	-
2017-18	49524	49597	153	40.17	73	112.83

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय आधिक्य (+)**	**बचत(-)**
2015-16	इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम	0.00	1960000.00	1960000.00	0.00
2016-17	इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम	0.00	1276000.00	1276000.00	0.00
	इण्ट्रीग्रेटेड डैवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबीटैट	0.00	1874000.00	1874000.00	0.00
2017-18	इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम	0.00	620000.00	620000.00	0.00
	इण्ट्रीग्रेटेड डैवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबीटैट	0.00	42460000.00	4246000.00	38214000.00

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर 1 - अनियमित व्यय ₹ 140.23 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 ग्लोबल कम्प्युटर सोसाइटी नैनीतालद्वारा दिसम्बर 2016 से **अप्रैल** 2018 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी है तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 12/2016 से 04/2018 तक ₹ 14023233 का भुगतान किया गया है। मै0ग्लोबल कम्प्युटर सोसाइटी नैनीताल से अनुबंन्ध बिना निविदा के आमंत्रण पर कर लिया गया है। जबकि अनुबन्ध किये जाने के पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 **के अनुसार** निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके।

उक्त को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। अतः विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया **तथा** ₹ 140.23लाख़ का अनियमित व्यय किया गया था।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर 2- सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ₹47.57लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल के वर्ष2017-18के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा निर्माण एव मरम्मत कार्योंके लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्रभाग द्वारा ₹ 4756758 की लागत के 32निर्माण एव मरम्मत कार्योंको बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा तिथि (मई 2018) तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यों की स्वीकृति के लिए कार्योत्तर स्वीकृतियाँ सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की गयी है तथा बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में कार्य सम्पन्न करा दिये गए है।

अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹ 47.57 लाख की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

कार्यालय नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

क्र0स0	नाम	धनराशि
1	नैना राजि के अन्तर्गत रॉची में स्थित रेंज कर्लक भवन मरम्मत	133000
2	उ0गौला राजि के पहाडपानी वन **विश्राम भवन** में क्षतिग्रस्त 60 मी0 सीसी कार्य (द्वितीय भो)मरम्मत कार्य	200000
3	उ0गौला राजि के पहाडपानी वन **विश्राम भवन** में क्षतिग्रस्त 54 मी0 सीसी कार्य (प्रथमभाग)मरम्मत कार्य	200000
4	बढौन राजि के अर्न्तगत सुकोचर नाले से मैरोली खत्ता तक पानी की नयी पाइप लाइन का संयोजन कार्य	497600
5	रैस्क्यू सेन्टर रानीबाग में बन्दर /मंकी सेड एंव ड्रेसिंग रूम में रैम्प निर्माण	189000
6	रैस्क्यू **से**न्टर रानीबाग मे मंकी सेड ड्रेसिंग रूम में फ्लोर /वॉल टाइल्स निर्माण लगाना`	211000
7	पहाडपानी वन **विश्राम भवन** के क्षति ग्रस्त 54मी0 सीसी मार्ग का आंशिक मरम्मत कार्य	200000
8	पहाडपानी वन **विश्राम भवन** के क्षति ग्रस्त 60मी0 सीसी मार्ग का आंशिक मरम्मत कार्य	20000
9	नैना राजि के अर्न्तगत नैनापीक में मरम्मत जिर्णोधार कार्य हेतु	150000
10	बाटनिकल गार्डन सडियाताल स्थित वाटरफॉल में ऊपरी भाग में पाथ का निर्माण कार्य	155500
11	बाटनिकल गार्डन सडियाताल स्थित वाटरफॉल में ऊपरी भाग में पाथ का निर्माण कार्य **प्रथम मरम्मत**	143890
12	भवाली क0सं0 20 में भूमि कटाव रोकने व वर्षाजल संरक्षण हेतु दीवाल निर्माण	158600
13	ढुंगानी मो0मार्ग मरम्मत कार्य	95000
14	न0पा0राजि के अन्तर्गत गैराज में मरम्मत कार्य	95000
15	न0पा0राजि के अन्तर्गत परिसर में ममता पाठक के रा0आ0 में मरम्मत कार्य	37200
16	न0पा0राजि के अन्तर्गत परिसर में श्री दीवान सिंह के रा0आ0 में मरम्मत कार्य	24700
17	न0पा0राजि के अन्तर्गत परिसर में श्री त्रीभुवन सिह नेगी के रा0आ0 में मरम्मत कार्य	34000
18	न0पा0राजि के अन्तर्गत परिसर में श्री रघुनाथ गोस्वामी के रा0आ0 में मरम्मत कार्य	29300
19	न0पा0राजि के अन्तर्गत परिसर में रा0 गैराज में मरम्मत कार्य	34700
20	न0पा0राजि के अन्तर्गत परिसर में दीवार निर्माण कार्य	99600
21	प्र0 कार्यालय नैनीताल के रिकार्ड /कार्यालय कक्ष हेतु स्थल सुधार कार्य	318970
22	प्र0 कार्यालय नैनीताल के पास सुरक्षा रेंलिंग निर्माण कार्य	54148
23	वुडलैण्ड वाटरफॉल मार्ग के वाम्ल निर्माण कार्य	199550
24	बोटनिकल गार्डन में जल संरक्षण टैंक	100000

25	उ0गौला राजि केद अन्तर्गत लीसाडीपो पहाडपानी में **गेट निर्माण** कार्य हेतु व्यय	100000
26	उ0गौला राजि केद अन्तर्गत लीसाडीपो पहाडपानी में मरम्मत कार्य	300000
27	रैस्क्यू हेतु पानी की पाइप लाइन बिछाना	245000
28	आपरेसन कक्ष में विविध कार्यो की **स्वीकृति**	234000
29	आपरेसन कक्ष में विविध कार्यो की स्वीकृती	77000
30	रैस्क्यू सेन्टर में पानी टैंक निर्माण	250000
31	रैस्क्यू सेन्टर में पानी टैंक निर्माण	70000
32	रैस्क्यू सेन्टर में रैंनहाकोस्टिंग निर्माण	100000
	योग	**4756758/-**

भाग-2 ब

प्रस्तर 3- वन्य जीवों द्वारा जान-माल की क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 37.46 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2012 वन्य जीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी।नियमावली की मूल भावना यह थी कि वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जान माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का वन विभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीतालवन प्रभाग, नैनीताल की लेखापरीक्षा के दौरानमानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि के वर्ष 2017-18 के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि प्रभाग केअंतर्गत मानव क्षति के 02 प्रकरण में ₹ 0.30 लाख, पशु क्षति के 353 प्रकरण में ₹37.16 लाख,कुल ₹37.46 लाख का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जो की प्रभाग द्वारा नहीं किया गया।

जबकि प्रभाग के पास मार्च 2018 के अन्त में बैंक पासबुक के अनुसार ₹ 36,20,966 अवशेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यवाही गतिमान है एव शीघ्र भुगतान किया जाएगा।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर 4 : वन जमा में विशेष प्रयोजन हेतु प्राप्त धनराशि ₹ 30.00 लाख का उपयोग न करने केकारण उद्देश्यों की पूर्ति में विलंब होना।

नैनीताल वन प्रभागके वन जमा निक्षेप पंजिका (फार्म-23) एवं लेखा अभिलेखो (अप्रैल 2018) की जांच में पाया गया कि विभाग में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम मद में ₹ 30.00 लाख जमा है।आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 के लक्ष्य के तहत मानव वन्य जीव रोकथाम के अंतर्गत establishment of monkey rescue centre (bandar barah) के निर्माण हेतु ₹ 30.00 लाख का बजट आवंटित हुआ था।उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय की जानी थी परंतु धनराशि व्यय न हो पाने के कारण उक्त बजट को वन जमा मद में जमा करते हुए वर्ष 2014 के प्रथम त्रैमास तक खर्च करने की अनुमति दी गयी थी। परंतु विभाग द्वारा उक्त समयावधि में भी कार्य पूर्ण नहीं कराया गया था। जिससे की उक्त धन राशि जिस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गयी थी उसमें उपयोग नहीं हो पायी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया की जनप्रतिनिधियों के विरोध के कारण कार्य नहीं कराया गया।विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वन जमा में अवशेष पड़ी धनराशि का 04 वर्ष समाप्त होने के पश्चात भी कार्य शुरू नहीं कराया गया है तथा धनराशि जिस उद्देश्य से उपलब्ध कराई गयी थी उसकी पूर्ति वर्तमान तक नहीं हो पायी है।

अतः वन जमा में जमा धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण कार्यों केपश्चात होने वाले लाभों को प्राप्त नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर 5 : **लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 7.00 लाख।**

विभाग मेंप्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु140 हेक्टेयर, का चयन किया गया था जिस पर ₹ 7.00 लाख काव्ययकियागयाथा। इन क्षेत्रों के द्वितीय वर्ष में केवल 17 हेक्टेयर में उपचार हेतु व्यय किया गया था तथा तृतिए वर्ष वर्ष उपचार हेतु कोई व्य्य नहीं किया गया था। जिससे स्पष्ट है कि प्रथम वर्ष उपचार पर किये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में द्वितिय एवं तृतीय वर्ष लगातार लेंटाना उन्मूलन न कराये जाने के कारण लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभावित करेगा।अतः, प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एव तृतीय वर्ष जारी न रखने के फलस्वरूप ₹ 7.00 लाख का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीयवनाधिकारी ने अवगत कराया कि बजट उक्त मद में प्राप्त नहीं होने के कारण द्वितीयएव तृतिए वर्ष लेंटना उन्मूलन का कार्य नहीं कराया गया।

अतः, ₹ 7.00 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर 6- वन पंचायतों से ₹6.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया किप्रभाग द्वारा वनो की अग्नि से सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में विभिन्न वन पंचायतों को धनराशि ₹ 6,00,000 (सूची संलग्न) उपलब्ध कराई गयी थी। वन पंचायतों को दी गयी उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभाग को वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुए थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्राचार द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-15 वर्ष 2018-19

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
26/2013-14	-	01,02	-
196/2015-16	01	01,02,03	01,02
20/2016-17	01,02	01	-

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
28/2011-12	-	01	01,02
121/2012-13	-	01,02	-
26/2013-14	-	01,02	01
196/2015-16	-	01,03,04	01
20/2016-17	01	-	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री धर्म सिंह मीणा	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र